यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/80/2018 **दिनांक :** 19.07.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

दिवालियापन और धन शोधन अक्षमता संहिता

आप सभी को ज्ञात ही है कि खराब ऋणों की वसूली के लिए कठोर उपाय करने और चूककर्ताओं पर आपराधिक कार्यवाही करने के बजाय, सरकार द्वारा इन कॉर्पोरेट चूककर्ताओं को विभिन्न प्रकार की रियायतें प्रदान की जा रही हैं जिसके कारण परिचालन लाभ अर्जित करने के उपरांत भी बैंक घाटे में जा रहे हैं। इस लूट का एक नया तरीका दिवालियापन और धन शोधन अक्षमता संहिता है। एआईबीईए ने इस विषय में अपना परिपत्र संख्या 28/66/2018/29 दिनांक 18.07.2018 जारी किया है जिसका अनूदित सार हम आपकी सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

सावधान रहें – आईबीसी लूटने का मार्ग है

बैंकिंग क्षेत्र खराब ऋणों में निरंतर वृद्धि के साथ खतरे के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। बैंकों में अनार्जक आस्तियां खतरनाक अनुपात तक पहुंच गई हैं। यह रू0 15 लाख करोड़ से अधिक है। सरकार ने हाल में संसद में लिखित उत्तर में स्वीकार किया कि 9063 जानबूझकर चूककर्ता है जो कुल मिलाकर बैंकों के रू0 1,10,050 करोड़ के देनदार हैं। एआईबीईए की ओर से हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम जानबूझकर चूककर्ताओं को आपराधिक कार्यवाही के तहत लाया जाना चाहिए। इस पर जानबूझकर बात करने से बचा जा रहा है और इसे टाला जा रहा है। बैंक ऋण चूककर्ताओं के नाम प्रकाशित करने की हमारी अति लंबित मांग अभी भी सरकार तथा आरबीआई द्वारा स्वीकार किया जाना बाकी है। किन्तु सरकार उत्सुक है कि सभी प्रकार की रियायतें इन चूककर्ताओं पर न्यौछावार कर दी जायें। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, हम आरोप लगाते हैं कि सरकार, राजनेताओं, नौकरशाहों, बैंकरों और उधार अदा न करने वालों के बीच स्पष्ट गठबंधन है।

यहां तक कि विगत में भी, चूककर्ताओं के लिए मखमली उपाय किये गये हैं – एकल समाधान, ब्याज छूट, सुलह समझौते, पुर्ननिर्धारण, पुर्नगठन, सीडीआर, एसडीआर, एस4ए, प्रावधानीकरण, बट्टे खाते, आदि। छोटे उधारकर्ताओं, किसानों, छात्रों, आदि के लिए वसूली कानून कठोर हैं और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। बड़े उधारकर्ताओं के लिए, सभी तरह की रियायतें हैं।

जारी पृष्ठ 2

नवीनतम आईबीसी – दिवालियापन और धन शोधन अक्षमता संहिता है। एनडीए सरकार खराब ऋणों से निपटने के लिए एक तंत्र के रूप में इसे लेकर आई है। एआईबीईए की ओर हम खराब ऋणों की वसूली की माँग करते हैं। लेकिन सरकार खराब ऋणों का समाधान करने की बात करती है। आईबीसी उनका समाधान का तरीका है। लेकिन आरबीआई ने पहले ही संकेत दे दिया है कि इस प्रक्रिया में तीव्र सजावटी छंटनी होगी। सजावटी छंटनी अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

भूषण स्टील्स के मामले में, एनसीएलटी को संदर्भित बकाया ऋण रू0 56,000 करोड़ था। टाटा ने इस कंपनी का रू0 35,200 करोड़ में अधिग्रहण कर लिया है। इस प्रकार एक एनपीए खाते का समाधान हो गया है। भूषण स्टील के नीरज सिंघल सम्पूर्ण ऋण देयता से मुक्त हैं। टाटा को रू0 35,000 करोड़ में रू0 56,000 करोड़ के मूल्य की कंपनी को प्राप्त करके लाभ ही हुआ है। **लेकिन बैंकों को रू0 21,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह लगभग 40% की सजावटी छंटनी है।**

फिर **इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स** का सौदा आया। बैंकों को देय राशि रू0 13,600 करोड़ थी। स्टरलाईट ख्याति वाली वेदांता ने इसे रू0 5,320 करोड़ में खरीद लिया। अनिल अग्रवाल को 8,400 करोड़ का लाभ हुआ। **बैंकों को रू0 8,400 करोड़ का त्याग करना पड़ा। सजावटी छंटनी 60% है।**

अब **आलोक इण्डस्ट्री** का सौदा आता है। कंपनी बैंकों के रू0 30,000 करोड़ की देनदार है। रिलायंस ने रू0 5,000 करोड़ में कंपनी का अधिग्रहण किया। अंबानी को रू0 25,000 करोड़ का लाभ हुआ। **बैंकों को रू0 25,000 करोड़ का त्याग करना पड़ा। इस मामले में सजावटी छंटनी 83% है।**

यह सिर्फ शुरूआत है। ऐसी और अधिक सौदे जल्द ही आयेंगें। सरकार बैंकों में जनता के धन की कीमत पर इन सभी कॉर्पोरेट चूककर्ताओं को मुक्त करने के लिए उत्सुक है।

यदि इस लूट को जारी रहने की अनुमति दी जाती है, तो भारत लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं हो सकता है, यह पूंजीवादी गणराज्य बन सकता है।

इस लूट से सावधान रहें। अपना तीव्र संघर्ष शुरू करें।

आपका साथी
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री

---

19 जुलाई 2018 – बैंक राष्ट्रीयकरण का *50वाँ* वर्ष
सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग की रक्षा करें – निजीकरण को परास्त करें
जनता के धन की कॉर्पोरेट लूट के विरूद्ध संघर्ष करें
जनता का धन जनता के कल्याण के लिए – न कि कॉर्पोरेट लूट के लिए